दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 10 जनवरी, 2023
उद्घोषित: 1 मार्च, 2023

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 185/2022 और सि.वि.आ. 52334-52335/2022

जैन शिकंजी प्राइवेट लिमिटेड **.....अपीलार्थी**

द्वारा: श्री जे. साई दीपक सह सुश्री कंगन रोडा, श्री नीतेश जैन, श्री शरद बेसोया और श्री वत्सल चंद्र, अधिवक्तागण।

बनाम

सतीश कुमार जैन **.....प्रत्यर्थी**

द्वारा: सुश्री श्री गौरव बारथी सह मुस्कान अरोड़ा और श्री विशाल श्रीवास्तव, अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय श्री न्यायाधीश मनमोहन
माननीय श्री न्यायाधीश सौरभ बनर्जी

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. सौरभ बनर्जी</u>

1. ट्रेडमार्क विवादों के न्यायनिर्णय के लिए आवश्यक *तीन* तत्व, जैसे कि वर्तमान में एक, शामिल ***'नाम' (जैन), 'कार्य'*** (*शिकंजी*) और ***'पहचान'*** (*जैन शिकंजी*)।

2. वर्तमान विवाद आपस में-"जैन" परिवार के सदस्यों के बीच है, जो अन्य उत्पादों के अलावा, *जैन शिकंजी* के नाम और शैली के तहत शिकंजी में सौदा करते हैं। वर्तमान अपील के आधार पर, "जैन" परिवार के एक सदस्य से संबंधित अपीलार्थी इस न्यायालय से उस आक्षेपित आदेश की वैधता पर न्यायनिर्णय लेने का आह्वान कर रहा है जिसके तहत उसे प्रतयर्थी, दूसरे "जैन" परिवार के सदस्य के ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* का उपयोग करने से अवरुद्ध किया गया है। इसके विवरण नीचे स्पष्ट किए गए हैं।

3. अपीलार्थी (*मूल प्रत्यर्थी*) इस अपील द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनाँक 05.11.2022 के आदेश पर आक्षेप करना चाहता है जिसके तहत प्रत्यर्थी (*मूल वादी*) के सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश *34 नियम 1 और 2* के तहत एक आवेदन को उसके पक्ष में अनुमति दी गई है और अपीलार्थी को अन्य व्यक्तियों के साथ किसी भी वस्तु को बेचने, बिक्री के लिए पेश करने, विज्ञापन देने या बढ़ावा देने से अवरुद्ध कर दिया गया है। ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* रेस्तरां के तहत उत्पाद या कोई भी अन्य व्यापार चिह्न समान या भ्रामक या प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न जो *जैन शिकंजी* के नाम से है के समान है उक्त मुकदमे के निपटारे तक।

4. अभिलेखों से पता चलता है कि प्रत्यर्थी, एक व्यक्तिगत, जो खुद को पंजीकृत ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* का मालिक होने का दावा करता है और जैन के नाम और शैली के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में कई बिक्री केन्द्र तथा

शिकंजी पेय, शिकंजी पाउडर और अन्य खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए उक्त ट्रेड मार्क के तहत जैन शिकंजी रेस्तरां चलाता रहा है। उक्त पंजीकृत चिन्ह के तहत अन्य खाद्य उत्पाद, उसके व्यापार चिन्ह/लोगों/डीवाइस के सम्बंध में व्यापार चिन्ह के उल्लंघन, चला देना, व्यापार चिन्ह को भाररहित करने, अनुचित प्रतिस्पर्धा, क्षति और वितरण आदि के स्थायी और अनिवार्य व्यादेश के लिया मुकदमा दायर किया गया। जैन शिकंजी और अन्य जैन शिकंजी सूचनात्मक/अपीलार्थी के विरुद्ध अन्य अतिरिक्त राहतों के अलावा, जो एक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधनों के तहत निगामित है और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष ट्रेडमार्क प्रत्यर्थी के समान उत्पादों को विक्रय करने और निर्माण के व्यवसाय में लगी हई है

5. प्रत्यर्थी के अनुसार, जो विवाद में सम्मिलित है उसका स्वयं का एक इतिहास है जो प्रत्यर्थी के स्वर्गीय पिता श्री परमात्मा शरण जैन, जिन्होंने *जैन शिकंजी* के नाम और शैली के तहत एक शिकंजी की दुकान विकास नगर कॉलोनी, कादराबाद, दिल्ली-मेरठ रोड, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश *में पाँच दशक* से भी पूर्व खोलकर शुरु किया था जो की समय के साथ, उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* उक्त स्वर्गीय श्री जैन और उनके पुत्रों से विशिष्ट हो गया। जिसमें प्रत्यर्थी भी सम्मिलित था, ने अपार लोकप्रियता और गुडविल प्राप्त की।

6. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उक्त स्वर्गीय श्री जैन के निधन के पश्चात । 1991 में जैन ने अपने चार अन्य जीवित भाइयों के साथ *जैन शिकंजी* के नाम और शैली के तहत उक्त व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुनियोजित रूप से एक तरीका तैयार किया। नतीजतन, समय के साथ, उक्त व्यापार चिह्न जैन शिकंजी ने एक द्वितीयक अर्थ प्राप्त कर लिया। प्रत्यर्थी ने आवश्यक खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के बाद समय-समय पर *जैन शिकंजी* के नाम और शैली के तहत कई बिक्री केन्द्र भी खोले, जिनका समय-समय पर नवीनीकरण किया जा रहा है और उचित वैधानिक कर प्राधिकरण के साथ समय-समय पर ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* के लिए पंजीकरण प्राप्त करने के पश्चात भी, जिनका समय-समय पर भुगतान भी किया जा रहा है।

7. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उसने दिनाँक 14.06.1996 से 26.05.2008 तक उपयोकर्ता का दावा करने वाली अन्य वर्गों के मध्य कक्षा 29, 32, 35, 42 में जैन शिकंजी के पंजीकरण के लिए कई आवेदन दायर करने का दावा किया है और चूंकि ऐसे कुछ पंजीकरण वैध हैं और इसके नाम पर विद्वमान हैं, इसलिए उसे उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में इसका उपयोग करने का विशेष अधिकार है जिनके लिए वे पंजीकृत हैं।

8. प्रत्यर्थी ने सितंबर 2021 के दूसरे सप्ताह में यह जानने का दावा किया कि दिनाँक 13.11.2019 पर इसके निगमन के पश्चात से, अपीलार्थी ने अपने व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* के तहत *शिकंजी* मसाला, सोडा स्नैक्स और सभी

प्रकार के खाद्य, खाद्य उत्पादों, डेयरी उत्पादों, बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पादों के निर्माण, बिक्री, उत्पादन, आयात, निर्यात, वितरण, आपूर्ति, संचालन, प्रबंधन और लेनदेन के समान व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। यह दावा करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के मुकदमा में व्यवसाय की उसी श्रेणी में उक्त उपयोग प्रत्यर्थी के साथ एक संबंध दिखाने के लिए था क्योंकि यह उससे किसी भी अनुमति, लाइसेंस या प्राधिकरण के बिना था, प्रत्यर्थी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया।

9. अपीलार्थी ने सेवा में रहते हुए दिनाँक 13.11.2019 पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपना पंजीकरण/निगमन स्वीकार किया और दावा किया कि अपीलार्थी के संप्रवर्तक-निदेशक श्री अनुभव जैन स्वर्गीय श्री बनारसी दास जैन, के परिवार से थे। जिन्होंने 1937 में *जैन शिकंजी* के नाम और शैली के तहत व्यवसाय शुरू किया और आगे अपीलार्थी के कथित संप्रवर्तक-निदेशक के रूप में श्री प्रदीप कुमार जैन (*स्वर्गीय श्री के भाई का पुत्र जैन*) के पुत्र थे। और श्रीमती बीना जैन, जो पहले से ही उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* का उपयोग कर रही थीं, अपीलार्थी को भी उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* का उपयोग करने का अधिकार था। इसके अलावा, अपीलार्थी के संप्रवर्तक-निदेशक के परिवार का उपनाम "जैन" होने के कारण, यह वैध व्यवसाय करने के उद्देश्यों के लिए उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र था।

10. इसके अतरिक्त, अपीलार्थी ने पूर्व के दो वादों का जिक्र किया ही जिनका वाद नं. 309/2008 विद्वान सिविल न्यायाधीश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के समक्ष और वाद नं. 06/2008 विद्वान जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के समक्ष मुकदमा वापस लेने के विचाराधीनता उल्लेख किया, जो प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के संप्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता के खिलाफ वाद की पोषणता मात्र पर प्रश्न उठाया, विशेषत वाद सं. 06/2008 के लंबित रहने के दौरान इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के अनुसार दिनाँक 01.11.2008 पारित एक आदेश के माध्यम द्वारा, वाद सं. 06/2008 में पारित अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता को ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* का उपयोग करने से अवरुद्ध कर दिया गया था, हालांकि, उक्त आदेश को तत्पश्चात इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 29.04.2011 के आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया था। अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता द्वारा की गई एक अपील जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था "... ... *विचारण न्यायालय के दिनाँक 1 नवंबर 2018 के 6-सी आवेदन पर उक्त आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि जहां तक मोदीनगर में व्यवसाय के संबंध है, उक्त आदेश लागू रहेगा। गाजियाबाद में प्रत्यर्थीगण के कार्य के संबंध में अस्थायी व्यादेश देने के आवेदन को ऊपर अनुबध शर्त यानी रिटर्न भरने के अधीन अस्वीकार कर दिया जाता है।*" संक्षेप में, अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता *जैन शिकंजी* के नाम और शैली के तहत

व्यवसाय करने के हकदार थे और नव संस्थापित वाद पोषणयोग्य योग्य नहीं था।

11. अपीलार्थी, ने वहाँ से, दिनाँक 15.04.1999 को कानूनी नोटिस का संदर्भित देते हुए जो श्री स्वदेश कुमार जैन (*प्रत्यर्थी के भाई*) द्वारा श्री प्रदीप कुमार जैन (*अपीलार्थी* के *प्रवर्तक-निदेशक के पिता*) *को* जारी किया गया था और उक्त श्री प्रदीप कुमार जैन द्वारा उसका उत्तर दिनाँक 21.04.1999 को (दोनों का खुलासा प्रत्यर्थी द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष दायर शिकायत में नहीं गए किया गया था) प्रत्यर्थी के आचरण पर प्रश्न उठाया और एक बार पुनः वाद की पोषणता पर प्रश्न उठाते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता के व्यवसाय के बारे में पूर्व से ही भली प्रकार से परिचित था था।

12. पक्षकारों को सुनने और सभी प्रतिविरोधात्म्क दलीलों, विशेष रूप से अपीलार्थी द्वारा उठाए गए बचाव और अभिलेख पर दस्तावेजों पर उचित ध्यान दें के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी को, साथ ही दावा करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ, अवरुद्ध करता है जो *जैन शिकंजी/जैन शिकंजी रेस्तरां* या प्रत्यर्थी *जैन शिकंजी* के व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से मिलता जुलता समान किसी भी व्यापार चिह्न के तहत किसी भी उत्पाद को बेचने, बेचने की पेशकश करने, विज्ञापन देने या बढ़ावा देने से रोक दिया।

13. इसलिए वर्तमान अपील के रूप में चुनौती जिसमें विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के लिए प्रतिवाद किया कि वर्तमान मुकदमे में दो मामलों में एक "पारिवारिक पहलू" शामिल है, *पहला* क्योंकि अपीलार्थी का संप्रवर्तक-निदेशक स्वर्गीय श्री बनारसी दास जैन, के परिवार से था। जो की नाम/शैली के तहत व्यवसाय के मूल संस्थापक/ट्रेडमार्क जैन शिकंजी का उपयोग करते हुए और *दूसरा* अपने स्वयं के माता-पिता के रूप में प्रत्यर्थी के जानकारी में था, अपीलार्थी पूर्ण रूप से और उचित मायने में ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* का उपयोग करने का हकदार था।

14. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद है कि *जैन* और *शिकंजी* दोनों सामान्य शब्द होने के कारण, कोई भी, प्रत्यर्थी को छोड़कर कोई भी उनमें के किसी में या उनके संयोजन में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रतिवादी द्वारा व्यवसाय करने के लिए उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* का उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता है।

15. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने एक ही व्यापार चिह्न के लिए विभिन्न वर्गों में प्रत्यर्थी और अपीलार्थी दोनों द्वारा व्यापार चिह्न पंजीकरण के समक्ष दायर कई व्यापार चिह्न आवेदनों पर भरोसा करते हुए प्रतिवाद किया किया क्योंकी अपीलार्थी ऐसे आवेदनों का पूर्व आवेदक था उसने प्रत्यर्थी से पहले इसका पंजीकरण करने की मांग की थी, के लिए विद्वान अधिवक्ता *जैन*

शिकंजी ने तर्क दिया कि चूंकि अपीलार्थी ऐसे आवेदनों का पूर्व आवेदक था और उसने प्रत्यर्थी से पूर्व इसका पंजीकरण करने की मांग की थी, इसलिए व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* में और उस पर इसका बेहतर अधिकार था।

16. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने मुकदमा सं. 06/2008 विचाराधीनता होने और इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2011 के मद्देनजर प्रतिवाद किया कि ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* का पंजीकृत स्वामी होने के नाते, प्रत्यर्थी पूर्व ही वाद उपमत करने में लगातार पांच साल की अवधि के वाद संस्थित हो चुका था क्योंकि वह अपीलार्थी के लिए प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता द्वारा ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* के उपयोग के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इस प्रकार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 33 पर भरोसा करते हुए प्रत्यर्थी को अब उक्त पंजीकृत व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* के अमान्य होने की घोषणा के लिए आवेदन करने या उस वस्तु या सेवा के संबंध में उसके उपयोग का विरोध करने का अधिकार नहीं था, जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा इसका उपयोग किया गया है।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, ने व्यापार चिह्न अधिनियम *धारा 17* पर भरोसा करते हुए विश्वास जताया की ***संझा चूल्हा बनाम संझा चूल्हा और अन्य*** पर प्रतिवाद किया की प्रत्यर्थी के पक्ष में उपकरण चिह्न *जैन शिकंजी* का पंजीकरण उसे उक्त चिह्न के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का विशेष

अधिकार नहीं देता है और इस प्रकार उसके पक्ष में उपकरण चिह्न *जैन शिकंजी* का पंजीकरण उसे *जैन शिकंजी* शब्द चिह्न पर कोई अधिकार नहीं देता है।

18. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अंत में, इस न्यायालय का ध्यान आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 28 की ओर आकर्षित करने पर परिवाद किया की कि किसी भी स्थिति में अपीलार्थी के लिए ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* की रंग योजना, डिजाइन, फ़ॉन्ट आदि से युक्त व्यापार पोशाक प्रत्यर्थी से पूरी तरह से अलग है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था।

19. प्रत्यर्थी के लिए प्रतिपक्षी विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि हालांकि अपीलार्थी स्वर्गीय श्री जैन, के परिवार से होने का दावा करता है। हालांकि, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि न तो अपीलार्थी और न ही अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता कभी भी उक्त स्वर्गीय श्री जैन के व्यवसाय से किसी भी स्तर पर शुरूवती रूप से जुड़े थे। यह सारवान प्रस्तुत करके पुष्टि की गई थी कि स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष इसके समर्थन में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

20. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तब प्रस्तुत किया कि मुकदमा सं. 309/2008 और मुकदमा सं. 06.2008 दोनों को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के

प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता के खिलाफ संस्थापित किया गया था न कि अपीलार्थी के खिलाफ। इसके अलावा, संदर्भित किसी भी घटना के रूप में अपीलार्थी की कंपनी का गठन बहुत बाद में किया गया था और उक्त मुकदमों की स्थापना के समय यह संस्थित में नहीं थी। इस प्रकार, अपीलार्थी न तो उक्त मुकदमों में पक्षकार था और न ही किसी भी स्तर पर उसमें शामिल था।

21. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तब हमारा ध्यान उस दिनांकित 29.04.2011 (ऊपर उद्धृत) आदेश की ओर आकर्षित किया जिसमें इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता द्वारा दायर अपील में केवल गाजियाबाद के एक विशेष दुकान से उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* का उपयोग करने की अनुमति देकर गाजियाबाद के विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनाँक 01.11.2008 के आदेश को संशोधित किया था और निर्देश दिया था कि यह उनके द्वारा त्रैमासिक बिक्री विवरणी दाखिल करने के अधीन था। इसके आधार पर, यह बताया गया कि उक्त आदेश को न तो संशोधित किया गया था और न ही इसमें बदलाव किया गया था, जिसके बाद यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता ने इसके अनुपालन में कभी भी कोई तिमाही विवरणी दाखिल नहीं की थी, इसलिए विद्वान जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेश को पुनर्जीवित कर दिया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता को गाजियाबाद में एक विशेष दुकान के दायरे

से परे *जैन शिकंजी* के नाम और शैली के तहत कोई भी व्यवसाय करने से प्रवारित कर दिया गया था, जिसमें निश्चित रूप से अपीलार्थी या उनके परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल था। इस प्रकार, सैद्धांतिक रूप से और अन्यथा भी, अपीलार्थी *जैन शिकंजी* के नाम और शैली के तहत कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था क्योंकि वह दोनों में से किसी का लाभ नही उठा सकता न ही वह स्वर्गीय श्री जैन और न ही अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हुआ।

22. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तब प्रतिवाद किया कि यह कोई मायने नहीं रखता है कि पक्षकारों के उपकरण/लेबल के निशान अलग-अलग हैं क्योंकि अंतिम परीक्षण भ्रम की संभावना है और किसी भी स्थिति में प्रत्यर्थी का मामला ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* के दोषपूर्वक उपयोग पर निर्भर करता है।

23. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में प्रतिवाद किया कि प्रत्यर्थी ने विभिन्न वर्गों में ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* के लिए वैध रूप से पंजीकरण प्राप्त किया था और चूंकि अपीलार्थी का उक्त ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* और/या इसके प्रवर्तक के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह न तो इसका उपयोग कर सकता है और न ही इसके पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

24. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुनने के पश्चात और उनके द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर विचार करने और अपीलार्थी द्वारा

दायर किए गए दस्तावेजों की अधिकता पर विचार करने के बाद, हम पक्षकारों द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्कों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

25. हालाँकि, आगे बढ़ने से पहले, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी के लिए लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर दलीलों के अंतिम निष्कर्ष के पश्चात, इस न्यायालय द्वारा किए गए एक प्रश्न के जवाब में, यह *स्वीकार* किया गया कि तर्कों के दौरान उनके द्वारा संदर्भित और भरोसा किए गए अधिकांश दस्तावेज, जिनके आधार पर अधिकांश तर्क निकलते हैं, या तो इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर लाने के लिए किसी भी अनुमति के बिना अपील पेपर बुक के साथ दायर किए स्वच्छ/नए दस्तावेज थे, भले ही वे अभी भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित थे या तो इस न्यायालय से अनुमति लेने के लिए कुछ महीनों की काफी देरी के पश्चात दायर किए गए सी. सि.प्र.सं. के आदेश 41 के *नियम 27* के तहत बाद के आवेदन के साथ दायर किए गए स्वच्छ/नए दस्तावेज थे। इस प्रकार अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ/नए दस्तावेजों के दो सेट दायर किए हैं जो स्वीकार्य रूप से कभी भी विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख का हिस्सा नहीं थे।

26. इस न्यायालय की अनुमति या अनुमति की माँग करते हुए के बिना अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा दायर दस्तावेजों के पहले सेट पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे नए दस्तावेज होने के कारण कभी भी विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख का हिस्सा नहीं थे। इसलिए, उनके बारे

में संबोधित सभी तर्क अस्वीकार किए जाते हैं और इस न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णित दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

27. दस्तावेज़ों के दूसरे समूह के अनुसार, हालाँकि अपीलार्थी ने सि.प्र.सं. के *आदेश 41. नियम 27* के तहत कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ों को अभिलेख पर लाने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया है, हालाँकि, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन को कभी भी संबोधित नहीं किया गया था। इसके अलावा, और किसी भी स्थिति में, उक्त दस्तावेज स्वयं कभी भी विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख का हिस्सा नहीं थे क्योंकि अपीलार्थी के *सि.प्र.सं. आदेश 11 नियम 12* के तहत आवेदन लंबित था जब वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा की गई थी। इस प्रकार, उक्त दस्तावेजों और उनके बारे में संबोधित सभी तर्कों को भी नकार दिया जाता है और इस न्यायालय द्वारा उन पर विचार करने और/या निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भी, *सि.प्र.सं.* के *आदेश नियम 27* के प्रावधान सख्त हैं और एक आवेदन को केवल कुछ प्रतिबंधात्मक आधारों पर ही अनुमति दी जा सकती है क्योंकि यह सामान्य नियम का एक अपवाद है ताकि किसी पक्ष को केवल असाधारण परिस्थितियों में सक्षम बनाया जा सके, जहां से पक्ष द्वारा अपीलीय स्तर पर ऐसा मामला बनाया जाता है, ऐसे पक्ष को न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि उचित परिश्रम करने के बावजूद उक्त दस्तावेज पहले किसी भी समय उसके जानकारी, शक्ति और/या कब्जे में नहीं थे।

28. सि.प्र.सं. *के आदेश नियम 27* के तहत अपीलार्थी के आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके बारे में किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया था और बिना किसी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी गैर-फाइलिंग के तर्क के बावजूद इसकी पूर्व । अफ़सोस, उक्त आवेदन किसी भी पदार्थ से रहित है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त आवेदन बाद में हमारे समक्ष वर्तमान अपील की शुरुआत के बाद ही दायर किया गया है। चूँकि यह न्यायालय उन नए दस्तावेजों को नहीं देख सकता है जिन्हें न तो विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और न ही जिन्हें आक्षेपित आदेश में कोई संदर्भ मिलता है, इसलिए उन पर और उनसे संबंधित तर्कों पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि आश्चर्यजनक रूप से उक्त आवेदन में अपीलार्थी द्वारा दायर दस्तावेजों के पहले सेट का अपील के साथ कोई उल्लेख नहीं है।

29. दस्तावेजों के दो सेटों के आधार पर, अपीलार्थी को न तो नए आधारों का अनुरोध करके और विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेखों का हिस्सा नहीं बनने वाली नई याचिकाओं को उठाकर अनुमेय दायरे से परे किसी मामले का प्रचार करने की कार्यक्षेत्र अनुमति दी जा सकती है और न ही कुछ ऐसा बनाने के लिए रिक्त स्थान भरने की अनुमति दी जा सकती है जो कमी को भरने या विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मौजूदा तथ्यों में सुधार करने के उद्देश्य से गायब था। सि.प्र.स. *के आदेश 41 नियम 1 (द)* के तहत एक

अपील पर केवल प्रस्तुत सामग्री/दस्तावेजों के आधार पर विचार किया जा सकता है और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनाया जा सकता है। अपीलीय मंच से संपर्क करते समय अपीलार्थी जैसे पक्षकार पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह अपने मामले को विचारण न्यायालय के समक्ष सीमित रखे और पहली बार नए दस्तावेजों के आधार पर नए बिंदुओं का आग्रह करके एक नया मामला सामने न रखे, जिनका न तो आग्रह किया गया था क्योंकि वे कभी भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख का हिस्सा नहीं थे।

30. अब अपीलार्थी के इस परिवाद पर आते हैं कि *जैन* और *शिकंजी* दोनों सामान्य शब्द हैं जिनका संयोजन पर व्यापार चिह्न के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वे विशिष्टता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अनुसार, यह गुणागुणहीन है क्योंकि उसी अपीलार्थी ने स्वयं, *स्वीकारा है* लेकिन गलत तरीके से अपनाया है, अपने व्यापार नाम के एक हिस्से के रूप में उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* का उपयोग किया है और बार-बार पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और समय-समय पर विभिन्न वर्गों में आवेदन वापस लिए हैं। इससे पता चलता है कि अपीलार्थी ने स्वयं उसी जैन शिकंजी को एक व्यापार चिह्न और उससे जुड़े ब्रांड मूल्य के रूप में पहचाना और मान्यता दी। अन्यथा, अपीलार्थी स्वयं एक सामान्य अभिव्यक्ति *जैन शिकंजी* (जिस पर उसे व्यापार चिह्न होने का संदेह है) के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए

आगे क्यों बढ़ेगा। यह तर्क देना उसी अपीलार्थी के लिए पूर्णत: असत्य है कि उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* वर्णनात्मक है या प्रत्यर्थी का उस पर कोई दावा नहीं है या नहीं हो सकता है क्योंकि यह उसके अपने दावों के विपरीत है। इस प्रकार उक्त परिवाद को खारिज कर दिया जाता है।

31. इसके अलावा, आज यह सामान्य जानकारी की बात है कि **जैसे इंडिया टुडे, अंडर आर्मर, हेड एंड शॉल्डर्स, टेक मून, स्टडी मोज़ेक, ब्लैक बुल, अमेरिकन ईगल, अमेरिकन एयरलाइंस, अगरवाल पैकर्स एंड मूवर्स, होलीडे इन, स्टूडियो डिपो, फेयर एंड लवली, विक्टोरिया सीक्रेट, रेड बुल** आदि जो, हालांकि, एक एकल चिह्न के रूप में दो अलग-अलग सामान्य शब्दों का एक संयोजन है, बहुत कुछ मौजूद है और दुनिया भर में अपनाया और उपयोग किया गया है। इस तरह के व्यापार चिह्न, विशिष्टता प्राप्त करने के बाद और सद्भावना प्राप्त करने पर बड़े पैमाने पर जनता के बीच एक प्रसिद्ध चिह्न के रूप में गुडविल प्राप्त करने के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे व्यापार चिह्न निश्चित रूप से इसके लिए आवेदन करने और पंजीकृत होने में सक्षम हैं।

32. इस प्रकार, *"जैन"* और *"शिकंजी"* शब्द आमतौर अलग-अलग उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं, लेकिन एक बार एक साथ जुड़ने/उपयोग करने के पश्चात "एकल रूप से" विशिष्ट और अद्वितीय हैं जो अपने आप में एक निशान बनने में सक्षम हैं। प्रत्यर्थी का उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी*,

क्योंकि विभिन्न वर्गों में इसका पंजीकरण अभी तक नहीं हटाया गया है। स्पष्ट रूप से और स्वीकार करते हुए, अपीलार्थी द्वारा विद्वान् विचारणन न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ उक्त व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* के संबंध में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई (जवाबी) दावा नहीं किया था। यह स्थिति अब तक वैसी ही है।

33. आश्चर्य की बात यह है हालाँकि अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने *जैन शिकंजी* के पारिवारिक चिह्न होने के बड़े-बड़े दावे किए हैं क्योंकि कहा जाता है कि अपीलार्थी के लिए प्रवर्तक-निदेशक ने उक्त व्यापार चिह्न के प्रवर्तक *जैन शिकंजी* से उनके पूर्वजों और उनके अपने माता-पिता से भी अपने अधिकार प्राप्त किए हैं, फिर भी इसके सम्बंधित कोई भी दस्तावेज जो कभी भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किए गए थे, जो बहुत कम, पेश किए गए। इतना ही नहीं, अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के जीवित माता-पिता ने न तो अपीलार्थी का समर्थन किया और न ही कोई सहायक दस्तावेज दाखिल किए। यह अपीलार्थी के दावों पर गंभीर संदेह डालता है। ऐसा कोई दस्तावेज़ विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया था और भले ही दायर किया गया हो, अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं प्रस्तुत नही हो सका था क्योंकि अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और विद्वान् जिला

न्यायाधीश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश से बाध्य थे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

34. किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा शुरू किए गए पहले के दो मुकदमों पर अपीलार्थी की निर्भरता से कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि उक्त मुकदमें अपीलार्थी के खिलाफ कभी भी दायर नहीं किए गए थे और यह उसमें एक पक्ष नहीं था/है क्योंकि अपीलार्थी को केवल दिनाँक 13.11.2019 पर शामिल किया गया था और दोनों मुकदमें अपीलार्थी के प्रवर्तक-निदेशक के माता-पिता के खिलाफ बहुत पहले दायर किए गए थे।

35. अपीलार्थी ट्रेड,मार्क अधिनियम की *धारा 33* का लाभ नहीं उठा सकता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया था, यह वर्तमान अपील के प्रयोजनों के लिए व्यर्थ है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलीय स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, अपीलार्थी अपने किसी भी पूर्ववर्ती/निकाय से ट्रेडमार्क *जैन शिकंजी* का उपयोग प्राप्त नहीं कर सकता था और यह तथ्य की बात है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की कंपनी के पंजीकरण/निगमन के पश्चात से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही विद्वान् विचारण न्यायलय के समक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। इस प्रकार, अपीलार्थी की ट्रेड,मार्क अधिनियम की धारा की प्रयोज्यता के बारे में प्रतिकार मिथ्या है।

36. ट्रेड मार्क अधिनियम की *धारा 17* के तहत अपीलार्थी की दलीलों के संबंध में, एक बार पुनः चूंकि अपीलार्थी द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रविरोध नहीं उठाया गया था, इसलिए वर्तमान अपील के प्रयोजनों के लिए यह व्यर्थ है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलीय स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, ***संझा चूल्हा (ऊपर)*** पर निर्भरता गलत है।

37. ट्रेडमार्क पंजीकरण के समक्ष ट्रेडमार्क के पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदन को दाखिल करने की तारीख की प्रासंगिकता के कारण, एक बार फिर क्योंकि अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया था, जो वर्तमान अपील के प्रयोजनों के लिए निरर्थक है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलीय स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, इस न्यायालय की दृष्टि में यह अप्रासंगिक है, विशेष रूप से वर्तमान विवाद के उद्देश्यों के लिए क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वह है "उपयोगकर्ता", "उपयोग का दावा" और उसके साथ प्रस्तुत साक्ष्य, जिसके आधार पर बाद में पंजीकरण प्रत्यर्थी के पक्ष में दिया गया है। यह आगे भी भौतिक नहीं है क्योंकि स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी ने ट्रेडमार्क जैन शिकंजी और जैन शिकंजी रेस्तरां के पंजीकरण के लिए अपने आवेदनों पर भरोसा किया था, जो हालांकि प्रत्यर्थी के आवेदन से पहले दायर किए गए थे, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था।

38. इसके अलावा, रंग योजना और अपीलार्थी की व्यापार पोशाक के डिजाइन, फ़ॉन्ट आदि के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिविरोध पूरी तरह से अलग है क्योंकि जारी किया गया व्यापार चिह्न *जैन शिकंजी* था न कि रंग योजना, डिज़ाइन, फ़ॉन्ट आदि।

39. अंत में, वर्तमान अपील की पोषणता के कारण यह स्पष्ट है कि सि.प्र.सं. *के आदेश 43 नियम 1 (द)* के तहत क्षेत्राअधिकरिता का प्रयोग करते समय एक अपीलीय मंच की भूमिका बहुत सीमित होती है। जब तक अपीलीय मंच के समक्ष आक्षेपित आदेश को उचित विवेकाधिकार का प्रयोग किए बिना पारित नहीं किया जाता है या अपीलीय मंच को आक्षेपित आदेश में कुछ मनमानेपन, विकृति या विचित्रता नहीं मिलती है या यह कानून के निहित सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, तब तक अपीलीय मंच द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद कम है। दिन के अंत में आदेश के तहत क्या अपील की जाती है सि.प्र.स. *का 43 नियम 1 (द)* एक अंतरिम आदेश है, अर्थात, न्यायालय द्वारा यह विचार करने के बुनियादी तीन परीक्षणों के आधार पर एक प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला गया है कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला था जिसके पक्ष में सुविधा का संतुलन था और जिसे अपूरणीय क्षति, हानि और चोट का सामना करना पड़ेगा। ऐद्वारा सभी कारक बहुत अलग होते हैं जब अंतिम आदेश/निर्णय को चुनौती देने वाली अपील की बात आती है जो न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों के उचित विचारण और व्यापक निर्णय द्वारा गुजरने के बाद पारित की जाती है।

40. चूंकि वर्तमान अपील में अपीलार्थी ने नए दस्तावेज़ दाखिल करने (जिन पर पहले ही विचार किया जा चुका है) के अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभिवचनों से परे अभिकथनों और अभिवचनों पर आंदोलन करने और भरोसा करने की कोशिश की है, इसलिए इसे सि.प्र.स. *के आदेश 43 नियम 1 (द)* के तहत निर्णय के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर, अपीलार्थी जैसे किसी भी पक्ष को अपने मामले में अपीलीय स्तर पर बहुत कम सुधार/निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पूर्व के उदाहरण के अपीलीय मंच के समक्ष कार्यवाही मूल न्यायालय के समक्ष पहले की कार्यवाही के विस्तार/निरंतरता के अलावा और कुछ नहीं है। अपीलीय मंच प्रथम दृष्टया किसी न्यायालय के कार्यों का निर्वहन नहीं करता है क्योंकि उसके समक्ष अपील की परिधि उतनी व्यापक नहीं है जितनी कि नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष है, केवल इसलिए कि नीचे दिए गए प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा लिए गए प्रशंसनीय दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण संभव है। सामान्य परिस्थितियों में, ऊपर उल्लिखित को छोड़कर, अपीलीय मंच निश्चित रूप से अपने समक्ष इसी तरह के तर्कों को नहीं सुन सकता है और वास्तव में नहीं सुनना चाहिए। इसी तरह, अपीलीय मंच को अपने दृष्टिकोण को एक संभावित/प्रशंसनीय दृष्टिकोण के लिए प्रतिस्थापित नहीं करना है जो उसकी राय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है उसके विपरीत है या हो सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय मंच के

समक्ष आक्षेपित प्रत्येक आदेश को केवल इसलिए अपास्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलीय मंच का दूसरा या प्रथक दृष्टिकोण है।

41. अपीलीय मंच को किसी अपील पर विचार करना और उसके पश्चात केवल तभी निर्णय लेना है जहां से अपीलार्थी आक्षेपित आदेश में त्रुटि को सुधारने के लिए उपरोक्त आधारों में से किसी पर भी एक सत्यभासी मामला बनाने में समर्थ हो, बजाय नये सिरे से इसके किसी नए मुद्दे/कानून या तथ्य के प्रश्न पर विचार किया जाए जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कभी मौजूद नहीं था। उपरोक्त सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें अपीलार्थी जैसे पक्ष को अपीलीय स्तर पर एक नया/प्रथक मामला स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबे समय से ***वांडर लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम ए. एन. आर. एंटोक्स इंडिया पी.*** लिमिटेड में निर्धारित किया गया था। और हाल ही में ***श्याम सेल पावर लिमिटेड और ए. एन. आर बनामश्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड*** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनःअभिपुष्ट की गई और जिसमें उसने निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः-

> *"33. हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील में, यदि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ को इस प्रश्न का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार सही था या गलत, तो उसे और क्या करने की*

आवश्यकता है। हम अपीलीय मंच के कर्तव्य के स्रोत का पता लगाने में असमर्थ हैं जो इसे वाद के विचारण के लंबित रहने तक एक उपयुक्त अंतरिम आदेश पारित करके मुकदमा बाध्य करता है।

34. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने आगे कहा कि ऐसा करने के मुकदमा उसे खुद को ऐसी स्थिति में रखना होगा जैसे कि उसे मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित करने के मुकदमा स्थानांतरित किया गया हो। दोहराव की कीमत पर, हम दोहराते हैं कि यदि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के दृष्टिकोण को बरकरार रखना है, तो विचारण न्यायालयों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके पश्चात, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा कि मामला वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) से अलग था। की खण्ड पीठ उच्च न्यायालय उस पर रुकता है। यह देखने में भी परेशानी नहीं होती है कि इसके समक्ष अपील का दायरा वांडर लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा परिभाषित दायरे से किस प्रकार अलग था। इसके बाद एक पंक्ति में, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से तथ्यों पर प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थी (वादी) के पक्ष में है और उसके पश्चात, व्यादेश सहित विभिन्न निर्देश पारित करता है। हालाँकि, वास्तव में, यह आदेश 39 नियम 1 और 2 सि.प्र.स. के तहत एक आवेदन के अनुमति देकर पूरी तरह से अपील की अनुमति देता है, लेकिन यह अंतिम पैराग्राफ में विनय से देखता है कि यह केवल विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 2 अप्रैल 2019 के आदेश को संशोधित कर रहा था।

35. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करने के लिए बहुत मेहनत से प्रयास किए हैं। यह निर्णय दशकों से देश में अपीलीय मंचों का मार्गदर्शन करते हुए अपने अपीलीय क्षेत्राअधिकारीता का प्रयोग करते हुए अंतर्वर्ती व्यादेश को देने या अस्वीकार करने के लिए विचारण न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए गए विवेक और क्षेत्राअधिकारिक्ता क्षेत्र की शुद्धता पर विचार करता रहा है। उक्त मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने वादी अ के पक्ष में अस्थायी व्यादेश के आदेश को अस्वीकार कर दिया था जो पंजीकृत व्यापार चिह्न का पंजीकृत मालिक होने का दावा कर रहा था। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उलट दिया था और अंतरिम व्यादेश प्रदान की थी। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के आदेश को पलटते हुए और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बनाए रखते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"14. खण्ड पीठ के समक्ष अपील एकल न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ थी। ऐसी अपीलों में, अपीलीय मंच प्रथम दृष्टया न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने स्वयं के विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करेगा, सिवाय इसके कि जहां विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से, या मनमौजी या विकृत रूप से किया गया है या जहां न्यायालय ने अंतर्वर्ती व्यादेश के अनुदान या इनकार को विनियमित करने वाले विधि के निर्धारित किए गए सिद्धांतों की अनदेखी की है। विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ

अपील को सिद्धांत रूप में अपील कहा जाता है। अपीलीय मंच भौतिक्त का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और विचारण न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा यदि उस न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष भौतिक्ता पर यथोचित रूप से संभव था। अपीलीय मंच द्वारा आमतौर पर केवल इस आधार पर अपील के तहत विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा कि यदि उसने मामले पर विचारण स्तर पर विचार किया होता तो वह एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच जाता। यदि विचारधीनता विचारण न्यायालयों द्वारा विवेक का उचित और न्यायिक तरीके से प्रयोग किया गया है, तो यह तथ्य कि अपीलीय मंच ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया होगा, विचारधीनता विचारण न्यायालय के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकता है। इन सिद्धांतों का उल्लेख करने के पश्चात गजेंद्रगडकर, जे. ने प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पोथन जोसेफ [(1960) 3 एससीआर 713:ए. आई. आर 1960 एस. सी. 1156]:(एससीआर 721)

"... ये सिद्धांत उचित प्रकार से स्थापित हैं, लेकिन जैसा कि विस्काउंट साइमन ने चार्ल्स ओसेनटन एंड कंपनी बनाम झानाटन [1942] ए. सी. 130]. में देखा है। "अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की अपील की न्यायालय द्वारा वापसी के बारे में कानून अच्छी तरह से स्थापित है, और कोई भी कठिनाई जो उत्पन्न होती है वह केवल एक व्यक्तिगत मामले में उचित प्रकार से स्थापित किए गए सिद्धांतों के अनुप्रयोग के कारण होती है"।"

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय निर्णय इस सिद्धांत को स्थगित नहीं करता है।"

42. सि.प्र.स. *के आदेश 41 नियम 1 (द)* के तहत विधि की तय स्थिति को देखते हुए अपीलीय स्तर पर अपील का विवेचना हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि अपीलार्थी इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए मामला बनाने में असमर्थ रहा है। इसलिए, इसमें शामिल समग्र तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं और अपीलार्थी के समग्र आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता है।

43. तदनुसार, पूर्वगामी कारणों से, सभी आवेदनों के साथ वर्तमान अपील, यदि कोई हो, को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

न्या. सौरभ बनर्जी

न्या. मनमोहन

1 मार्च, 2023
एकेआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*